# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1072/2017

**वादीगण**

1 भोमसिंह पुत्र पीरसिंह
2 दरियाव कंवर पत्नी स्व. पीरसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण बुटेलाव, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1 प्रतापसिंह
2 चतरसिंह
3 कानसिंह
4 मदनसिंह
5 उदयसिंह पिसरान जोगसिंह
6 मोहन कंवर पत्नी स्व. जोगसिंह
7 जब्बरसिंह
8 डूंगरसिंह
9 समन्दरसिंह पिसरान रामसिंह
10 भंवर कंवर पत्नी स्व.रामसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण बुटेलाव, तहसील सोजत, जिला पाली।
11 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति:–

1. श्री रविन्द्रसिंह जैतावत एवं कुंदनमल मालवीय, अधिवक्ता मय वादीगण
2 प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5, व 7 स्वयं उपस्थित।

**–: निर्णय :–**

दिनांक – 28.07.2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बुटेलाव पटवार क्षेत्र मेव तहसील सोजत के खाता संख्या 117 (पुराना खाता संख्या 108) जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 16 रकबा 5.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 17 रकबा 2.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 23 रकबा 3.2500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 127 रकबा 2.0000 हैक्टर किस्म चाही सौयम बंजड, खसरा नंबर 128 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 129 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नंबर 130 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 132 रकबा 0.4500 हैक्टर किस्म जाव सौयम, खसरा नंबर 133 रकबा 1.2400 हैक्टर किस्म बंजड, खसरा नंबर 135 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म जाव सोयम, खसरा नंबर 166 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 183 रकबा 0.3300 हैक्टर किस्म बारानी दौयम कुल खसरा 12, कुल क्षेत्रफल 17.6200 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। मूलरूप से माधूसिंह (फौत) के जोगसिंह रामसिंह व पीरसिंह (फौत) पुत्र थे। पीरसिंह के वादीगण, जोगसिंह के प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 तथा रामसिंह के प्रति0 संख्या 7 से 10 वारिसान हुए। कृषि भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का 1/3 वां हिस्सा व वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्थ कृषि भूमि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक लगायत दस की पूर्वजो से प्राप्त जायदाद पैतृक सम्पति है। वादग्रस्थ कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती कृषि भूमि है, जिसमें सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। परन्तु उपरोक्त खसराजात की कृषि भूमि का आज दिन तक विधिक बंटवाडा नही हुआ है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण एक लगायत दस वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी तथा बाधा अड़चन आवागमन व काश्त में उत्पन्न कर रहे है। जिससे वादीगण का अपने हिस्से की कृषि भूमि में कृषि उपज बोना, तथा कृषि उपज की रखवाली करना, एवं उपज को घर लाने ले जाने में परेशानी हो रही है, तथा अपनी अलग कृषि भूमि नही होने से फसल की रक्षा में भी परेशानी आती है, जिससे वादी अपनी भूमि की पूरी कृषि उपज प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रतिवादीगण के हिस्से में वादी से अधिक हिस्सेदार होने से व वादीगण को हमेशा हैरान व परेशान करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण को इनके हक हिस्से से वंचित कर देना चाहता है। बंटवाडा का होने से तहसीलदार, सोजत को भू स्वामी होने की वजह से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 11 बनाया गया है। प्रतिवादीगण एक लगायत दस ने वादीगण को वादस्थ कृषि भूमि में मेहरूम व वंचित कर देने की वजह से दिनांक 30.06.2017 को वादी के काश्त हेतु बुलाये गये ट्रेक्टर को कृषि भूमि में जाने से रोका तथा रास्ते का अवरूद्ध कर दिया, वादी के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते हुए प्रतिवादीगण ने वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दी जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्थ सम्पति वादी व प्रतिवादीगण की अविभाजित सम्पति होने एवं वादीगण का वाई बर्थ हक अधिकार निहित होने से तथा प्रतिवादीगण के दखल अंदाजी रोक टोक व बांधा अर्चन की वजह से वादीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो रहे है, बिनायदावा दिनांक 30.06.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्थ कृषि भूमि के वादीगण के हिस्से में काश्त करने खडाई करने व खडाई हेतु बुलाये गये ट्रेक्टर के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने एवं धमकिया देन से यह वाद कारण बमुकाम बुटेलाव उत्पन्न हुआ जो वाद अंदर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र मय दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर वादस्थ कृषि भूमि में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर अलग से तरमीम करवाया जावे तथा उक्त कृषि भूमि के वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग व आगामन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी रोक टोक व बांधा अड़चन आदि करने से रोके जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समन्नस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 से 3, 5 से 7 व 10 को बावजूद सम्मनस तामिली/सूचना बावजूद आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 28.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 संख्या 4, 8 व 9 को जरिए रजि0एडी0 प्रेषित सम्मन की स्वयं को डाक द्वारा प्राप्ति रसीदे संलग्न पत्रावली है, बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलवाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.07.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा शहादत वादीगण पीडब्ल्यु–1 भोमसिंह के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्र पर दिनांक 04.04.2018 को मुख्य

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

परीक्षण के बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सा0मि0 किये गये। अन्य शहादत वादीगण पेश करना नहीं चाहने से उक्त तिथि को ही शहादतवादीगण बंद की गई। बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। तथा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीदार, सोजत को प्रा0 डिक्री भेजकर पत्रांक/कोर्ट/2018/807 दिनांक 12.10.2018 विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/4181 दिनांक 16.10.2021 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्व वाद संख्या 1072/2017 अनवान भोमसिंह बनाम प्रतापसिंह वगेरह में पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 04.04.2018 की पालना में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के साथ संयुक्त रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करके विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सूनी गई। अधिवक्ता वादी ने वादीगण का वाद डिकी किया जाना तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने हेतु ईश्तदुआ की । जबाब बहस प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजो, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी व तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने हेतु सहमति / स्वीकारोक्ति दी है। लिहाजा वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किया जाना उचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बुटेलाव पटवार हल्का मेव, भू0अ0निरी0 खारीयानींव तह0 सोजत में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खाता संख्या 117 (पुराना खाता संख्या 108) जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 16 रकबा 5.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 17 रकबा 2.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 23 रकबा 3.2500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 127 रकबा 2.0000 हैक्टर किस्म

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

चाही सौयम बंजड, खसरा नंबर 128 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 129 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नंबर 130 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 132 रकबा 0.4500 हैक्टर किस्म जाव सौयम, खसरा नंबर 133 रकबा 1.2400 हैक्टर किस्म बंजड, खसरा नंबर 135 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म जाव सोयम, खसरा नंबर 166 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 183 रकबा 0.3300 हैक्टर किस्म बारानी दौयम कुल खसरा 12, कुल क्षेत्रफल 17.6200 हैक्टर की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन बंटवाड़ा खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

| क्र. स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोमसिंह पुत्र पीरसिंह 1/2 दरियाव कंवर पत्नि पीरसिंह 1/2 कौम राजपूत सा0 बुटेलाव | 17 | 2.71 | बा0दो0 | 10.84 |
| | | 130 | 0.49 | चा0सो0 | 3.74 |
| | | 135 | 0.44 | जा0सो0 | 2.60 |
| | योगः– | 03 | 3.64 | | 17.18 |
| 2. | महेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/25, भगवतसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/25, संजु कंवर पुत्री प्रतापसिंह 1/25, डिम्पलकवंर पुत्री प्रतापसिंह 1/25, दाकु कंवर पत्नि प्रतापसिंह 1/25, चतरसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5, कानसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5, मदनसिह पुत्र जोगसिंह 1/5, उदयसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5 जाति राजपूत सा0 बुटेलाव | 16 | 5.85 | बा0दो0 | 23.40 |
| | | 132 | 0.45 | जा0सो0 | 1.98 |
| | | 133 | 1.24 | बंजड़ | 12.28 |
| | | 135/1 | 0.43 | जा0सो0 | 1.98 |
| | | 183 | 0.33 | बा0दो0 | 1.32 |
| | योगः– | 05 | 8.30 | | 40.96 |
| | जबरसिंह पुत्र रामसिंह 1/4, डूंगरसिह पुत्र रामसिंह 1/4, समन्दरसिंह पुत्र रामसिंह 1/4, भंवरकंवर पत्नि रामसिंह 1/4 जाति राजपूत सा0 बुटेलाव | 23 | 3.25 | बा0दो0 | 13.00 |
| | | 127 | 1.96 | चा0सो0 बंजड़ | 14.32 |
| | | 166 | 0.21 | बा0दो0 | 0.84 |
| | योगः– | 03 | 5.42 | | 28.16 |
| 4 | महेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/75, भगवतसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/75, संजूकंवर पुत्री प्रतापसिंह 1/75, डिम्पलकवंर पुत्री प्रतापसिंह 1/75, दाकुकंवर पत्नि प्रतापसिंह 1/75, चतरसिंह पुत्र जोगसिंह 1/15, कानसिंह पुत्र जोगसिह 1/15, मदनसिह पुत्र जोगसिंह 1/15, उदयसिंह पुत्र जोगसिंह 1/15, जबरसिंह पुत्र रामसिंह 1/12, डूंगरसिह पुत्र रामसिंह 1/12, समन्दरसिंह पुत्र रामसिंह 1/12, भंवरकंवर पत्नि रामसिंह 1/12 भोमसिंह पुत्र पीरसिंह 1/6, दरियावकंवर पत्नि पीरसिंह 1/6 कौम राजपूत सा0 बुटेलाव | 17/2 रास्ता | 0.05 | बा0दो0 | 0.20 |
| | | 127/1 | 0.04 | बंजड़ | 0.08 |
| | | 128 | 0.01 | गै0मु0बेरा | 0.28 |
| | | 129 | 0.16 | गै0मु0सड़ा | |
| | योगः– | 04 | 0.26 | | 0.28 |

वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.10.2021 को निर्णय का एक भाग माना/पढा जावे। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/राजस्व नक्शा में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब कर सा0मि0 किया जावें। उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा, विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रमाणित छाया प्रति तहसीलदार सोजत को भेजी जाकर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1 भोमसिंह पुत्र पीरसिंह
2 दरियाव कंवर पत्नी स्व. पीरसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण बुटेलाव, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

1 प्रतापसिंह
2 चतरसिंह
3 कानसिंह
4 मदनसिंह
5 उदयसिंह पिसरान जोगसिंह
6 मोहन कंवर पत्नी स्व. जोगसिंह
7 जब्बरसिंह
8 डूंगरसिंह
9 समन्दरसिंह पिसरान रामसिंह
10 भंवर कंवर पत्नी स्व.रामसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण बुटेलाव, तहसील सोजत, जिला पाली।
11 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

राजस्व वाद संख्या :– 1072/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री **रविन्द्रसिंह जैतावत एवं कुंदनमल मालवीय, अधिवक्ता मय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5, व** 7 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बुटेलाव पटवार हल्का मेव, भू0अ0निरी0 खारीयानींव तह0 सोजत में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खाता संख्या 117 (पुराना खाता संख्या 108) जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 16 रकबा 5.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 17 रकबा 2.6700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 23 रकबा 3.2500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 127 रकबा 2.0000 हैक्टर किस्म चाही सौयम बंजड, खसरा नंबर 128 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 129 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नंबर 130 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 132 रकबा 0.4500 हैक्टर किस्म जाव सौयम, खसरा नंबर 133 रकबा 1.2400 हैक्टर किस्म बंजड, खसरा नंबर 135 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म जाव सोयम, खसरा नंबर 166 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 183 रकबा 0.3300 हैक्टर किस्म बारानी दौयम कुल खसरा 12, कुल क्षेत्रफल 17.6200 हैक्टर की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन बंटवाड़ा खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोमसिंह पुत्र पीरसिंह 1/2 दरियाव कंवर पत्नि पीरसिंह 1/2 कौम राजपूत सा0 बुटेलाव | 17 | 2.71 | बा0दो0 | 10.84 |
| | | 130 | 0.49 | चा0सो0 | 3.74 |
| | | 135 | 0.44 | जा0सो0 | 2.60 |
| | योग:– | 03 | 3.64 | | 17.18 |
| 2. | महेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/25, भगवतसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/25, संजु कंवर पुत्री प्रतापसिंह 1/25, डिम्पलकवंर पुत्री प्रतापसिंह 1/25, दाकु कंवर पत्नि प्रतापसिंह 1/25, चतरसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5, कानसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5, मदनसिह पुत्र जोगसिंह 1/5, उदयसिंह पुत्र जोगसिंह 1/5 जाति राजपूत सा0 बुटेलाव | 16 | 5.85 | बा0दो0 | 23.40 |
| | | 132 | 0.45 | जा0सो0 | 1.98 |
| | | 133 | 1.24 | बंजड़ | 12.28 |
| | | 135/1 | 0.43 | जा0सो0 | 1.98 |
| | | 183 | 0.33 | बा0दो0 | 1.32 |
| | योग:– | 05 | 8.30 | | 40.96 |
| 3 | जबरसिंह पुत्र रामसिंह 1/4, डूंगरसिह पुत्र रामसिंह 1/4, समन्दरसिंह पुत्र रामसिंह 1/4, भंवरकंवर पत्नि रामसिंह 1/4 जाति राजपूत सा0 बुटेलाव | 23 | 3.25 | बा0दो0 | 13.00 |
| | | 127 | 1.96 | चा0सो0 बंजड़ | 14.32 |
| | | 166 | 0.21 | बा0दो0 | 0.84 |
| | योग:– | 03 | 5.42 | | 28.16 |
| 4 | महेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/75, भगवतसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/75, संजूकंवर पुत्री प्रतापसिंह 1/75, डिम्पलकंवर पुत्री प्रतापसिंह 1/75, दाकुकंवर पत्नि प्रतापसिंह 1/75, चतरसिंह पुत्र जोगसिंह 1/15, कानसिंह पुत्र जोगसिह 1/15, मदनसिह पुत्र जोगसिंह 1/15, उदयसिंह पुत्र जोगसिंह 1/15, जबरसिंह पुत्र रामसिंह 1/12, डूंगरसिह पुत्र रामसिंह 1/12, समन्दरसिंह पुत्र रामसिंह 1/12, भंवरकंवर पत्नि रामसिंह 1/12 भोमसिंह पुत्र पीरसिंह 1/6, दरियावकंवर पत्नि पीरसिंह 1/6 कौम राजपूत सा0 बुटेलाव | 17/2 रास्ता | 0.05 | बा0दो0 | 0.20 |
| | | 127/1 | 0.04 | चा0सो0 बंजड़ | 0.08 |
| | | 128 | 0.01 | गै0मु0बेरा | |
| | | 129 | 0.16 | गै0मु0सड़ा | |
| | योग:– | 04 | 0.26 | | 0.28 |

प्रतिवादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.10.2021 को निर्णय का एक भाग माना/पढा जावे। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/राजस्व नक्शा में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिकी पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.07.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |